न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा पत्र संख्या :– 07/2019

नवराम आत्मज धासी जी गुजर निवासी झाडोल तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. श्री राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर सा0 चित्तौड़गढ
2. श्रीमान तहसीलदार साहब बेगूँ (भूमिधारी)

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री सत्यनारायण ईनाणी
अधिवक्ता वादीगण
श्री तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार सरकार प्रतिवादी

निर्णय दिनांक :– 12.03.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि वादी को भू–आवंटन कमेटी द्वारा जरिये मि0नं0 773/86 द्वारा दिनांक 16.06.1986 को गांव तुम्वा तह0 बेगूँ की आराजी नम्बर 91 रकबा 5 बीघा भूमि आवटित की गई तभी से वादी इस पर काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है।

यह कि वादी इस भूमिपर लगभग 26 वर्ष से भी अधिक अवधि से काबीज है और भूमि को अंग मेहनत कर व काफी खर्चा कर काबील काश्त बनाया है किन्तु राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही से रेकार्ड में वादी के नाम यह भूमि अंकित नहीं हुई है। वादी ने कई बार खातेदारी में अंकित करने हेतु आग्रह भी किया एवं दिनांक 13.09.98 को तहसीलदार साहब के यहां आवेदन भी प्रस्तुत किया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि वादी इस आराजी पर आज तक काबीज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि रेकार्ड मे यह आराजी बिलानाम अंकित रह जाने से इस आराजी को हालही में चरनोट अंकित कर दिया गया जबकि यह आराजी वादी की एलोटशुदा होकर वादी के कब्जे एवं काश्त में चली आ रही है और पूर्णतया आबाद होकर कृर्षि कार्य हो रहा है और मौके पर कोई चरनोट नहीं है जिससे चरनोट का उपरोक्त इन्द्राज अनुचित एवं अवैध होकर वादी के विरूद्ध प्रभावहीन है जिसे वादी शून्य घोषित कराने व अपने आपको रेकार्ड में खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है।

यह कि बिनाय दावा दिनांक 01.02.2013 से शुरू होती है जबकि पटवारी हल्का द्वारा वादी को यह बताया गया कि यह आराजी चरनोट में अंकित हो चुकी है जिस पर वादी ने दिनांक 08.02.2013 को धारा 80 जा0दी0 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण को नोटिस देकर रेकार्ड में दुरुस्ती करने व वादी को खातेदार घोषित करने की मांग की जिसे 2 माह की अवधी बीत चुकी है और प्रतिवादीगण ने न तो कोई उत्तर दिया और न ही रेकार्ड ही दुरुस्त किया जिससे यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। यह आराजी ग्राम तुम्वा तहसील बेगूँ में स्थित है और काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत घोषणा हेतु यह वाद होने से समायत न्यायालय आप हैं।

वादी की प्रार्थना है कि :–

(अ) पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषणात्मक डिक्री प्रदान की जाकर यह घोषित फरमाया जावे कि ग्राम तुम्वा तह0 बेगूँ की आराजी नं0 91 रकबा 5 बीघा को चरनोट में अंकित किया जो अनुचित एवं अवैध होकर शून्य है एवं इसे विलोपित किया जाकर यह आराजी वादी के बहैसियत खातेदार अंकित फरमाया जावें।

(ब) खर्चा मुकद्मा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

(स) अन्य दाद जो मुफीद वादी हो और न्यायालय उचित समझे वादी को दिलवायी जावें।

वादी का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और पैरोकार सरकार तहसीलदार बेगूँ द्वारा उपस्थिती दी जाकर इस वादपत्र का जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए जवाबदावा में निवेदन

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

प्रकार से किया कि वादपत्र की कलम संख्या 1 से 4 तक को अस्वीकार करते हुए कलम संख्या 6, 7 व 8 का जवाब आपेक्षित नहीं होने का कथन करते हुए जवाब दावे के विशेष कथन मे निवेदन किया कि ग्राम तुम्बा पटवार हल्का सुवाणिया की वर्तमान आराजी नं. 91 रकबा 5.2100 हैक्टर भूमि चारागाह हेतु आरक्षित भूमि है। उक्त भूमि चारागाह हेतु आरक्षित होने से वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज किया जाना सम्भव नहीं है।

पत्रावली में प्रतिवादीगण की आरे से जवाब दावा प्रस्तुत होने पर के पश्चात निम्न तनकी पत्र पृथक से तेयार कर शामिल पत्रावली किया गया :–

1– आया कि ग्राम तुम्बा की आराजी नं0 91 रकबा 5 बीघा को चरनोट में अंकित किया जो अनुचित एवं अवैध होकर शून्य है एवं इसी विलोपित किया जाकर यह आराजी वादी अपने नाम पर खातेदारी से घोषित करा पाने के अधिकारी है?

वादी

2– आया कि ग्राम तुम्बा पटवार हल्का सुवाणिया की वर्तमान आराजी नं. 91 रकबा 5.2100 हैक्टर भूमि चारागाह हेतु आरक्षित भूमि है। उक्त भूमि चारागाह हेतु आरक्षित होने से वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज किया जाना सम्भव नहीं है वाद खारिज काबिल है?

प्रतिवादीगण

3– दादरसी ?

दावा पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात यह दावा पत्रावली साक्ष्य वादी में विचाराधीन थी, तभी राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर राजस्व लोक अदालत कैम्प में राजस्व प्रकरणो के निस्तारण के कैम्प हेतु निर्देश प्राप्त होने पर इस दावा पत्रावली को लोक अदालत की भावना से लोक अदालत कैम्प काटून्दा पर रखाया जाकर सुनवाई की गई तथा वादी का वादपत्र लोक अदालत कैम्प काटून्दा में दिनांक 09.06.2015 को निर्णित निम्न प्रकार से किया गया :–

" अतः वाद वादीगण का अ0धा0 88 आर0टी0एक्ट का दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।"

उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील वादी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी चितौडगढ के न्यायालय में किये जाने से माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी चितौडगढ द्वारा उनके निर्णय दिनांक 02.02.2018 से निम्न निर्णय पारित किया गया:–

" अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ द्वारा प्रकरण संख्या 64/2013 में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 09.06.2015 अपास्त की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षो की विधिवत सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है। "

दावा पत्रावली में इस न्यायालय को प्राप्त होने पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चितौडगढ के निर्णय मे दिये गये निर्देशो की पालना में वादपत्र को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में नियमानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की सुनवाई की गई। वादी द्वारा इस दावा पत्रावली में साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादी नवलराम आत्मज घासी जी गुजर का प्रस्तुत किया गया जिस पर मुख्य परीक्षण करते हुए वादी द्वारा दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया एवं प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा जिरह की गई जिस पर वादी ने भूमि पर कब्जा होने एवं सरसो एवं तारामीरा की फसल बुवाई करने की बात करते हुए जमीन पर कोट करना बताया गया। इस प्रकार प्रकरण मे वादी के बयान कलमबद्ध करते हुए वादी की साक्ष्य पूर्ण की गई। प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रतिवादी की साक्ष्य बंद की गई। दावा पत्रावली को वास्ते बहस हेतु रखाया गया।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस को वादपत्र के अनुसार करते हुए वाद वर्णित भूमि मौजा तुम्बा की आराजी संख्या 91 रकबा 5 बीघा जो कि वादी को सन 1986 में आवंटन हुई थी को चारागाह से विलोपित करते हुए वादी के कब्जे के आधार पर आवंटन के आधार पर वादी के खातेदारी में घोषित करने का निवेदन किया है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

कि प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार ने वाद वर्णित भूमि आरक्षित चारागाह भूमि होने से वादी के नाम पर घोषित नहीं किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुने जाने के पश्चात दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी प्रदर्श दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा करते हुए पत्रावली में कायम तनकी पत्र अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1– तनकी नं0 1 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी का है। वादी ने अपन वादपत्र के समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनमें प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी मौजा तुम्वा सम्वत 2068 से 2071 तक की पेश की है जिसमें वर्णित आराजी संख्या 91 रकबा 5.2100 हैक्टर की बंजड भूमि चारागाह हेतु आरक्षित जरिये ना.सं. 98 से होने का अंकन जमाबंदी में अंकित किया हुआ है। यानि वाद वर्णित भू मि वर्तमान में आरक्षित चारागाह दर्ज रेकार्ड है। वादी द्वारा प्रदर्श–2 एक प्रार्थना पत्र भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवेदन नियम 107 के नियम 18(2) के अन्तर्गत खातदोरी हक प्राप्त करने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.9.98 को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसे माननीय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ द्वारा तहसीलदार बेगूँ के लिए भिजवाने हेतु लिखा तथा तहसीलदार बेगूँ ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट का अंकन किया लेकिन उस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट न होकर दिया गया मूल ही आवेदन इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार के प्रार्थना पत्र को सम्बन्धित अधिकारी को न देकर इसे दस्तावेजी रूप में प्रस्तुत किया जाना न्यायसंगत नहीं होता है। प्रदर्श– 3 नकल आवंटन कमेटी की राय की है जो मिसल नं0 773/86 दिनांक 16.06.86 में श्री नवराम पुत्र घासी के नाम पर सामरियाकलां मुकाम पर ग्राम तुम्वा की आराजी संख्या 91 रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन होने का आदेश दिया हुआ है। यह नकल जिला कलेक्टर के रिकोर्ड रूम से दिनांक 11.6.93 को जारी की गई है।

प्रदर्श–4 नकल पर्चामौका कार्यालय एस डी ओ बेगूँ आवंटन दिनांक 16.6.86 का पर्चामौका है। जिसमें अंकित किया है कि "आज दिनांक को आराजी नं0 91 पर पहुंचा। जहा पर श्री नवलराम पिता घासी जाती गूजर निवासी झाडोल को मि0 नं0 773/86 के कम संख्या 86 अनुसार ग्राम तुम्वा का रकबा 5 बीघा जमीन माप कर आवंटी को सुपुर्द की गई एवं मौतबीरान के हस्ताक्षर लिए गये।" यह कब्जा 26.9.86 को दिया जाने के हस्ताक्षर पटवारी हल्का के है। प्रदर्श–5 नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा0दी0 की प्रति का है जो वादी द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधी एवं भूमिधारी को दिया गया था , दिये गये नोटिस की प्रेषित रसीद प्रदर्श–6 व प्रदर्श–7 है। लेकिन नोटिस प्राप्ती की रसीद संलग्न नहीं की गई है।

इन सभी दस्तावेज से यह पाया जाता है कि वादी को भूमि का आवंटन तो हुआ था लेकिन उन्हें कब्जा दिये जाने के वाद लगातार कब्जा उनका रहा या नहीं रहा यह तथ्य इस दावा पत्रावली में वादी ने सिद्ध नहीं कराये है, क्यो कि आवंटन नियम अनुसार आवंटित भूमि का कब्जा दिये जाने के प्रथम वर्ष में 25 प्रतिशत काश्त एवं द्वितीय वर्ष में 50 प्रतिशत काश्त तथा उसके पश्चात लगातार काश्त का क्षेत्र वढाते हुए भूमि पर काश्त किये जाते रहने से भूमि का कब्जा काश्त सिद्ध होता है जिसे वादी द्वारा खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत करते हुए या किसी अन्य स्वतंत्र गवाह के बयान कराते हुए या सिपुर्द किये गये कब्जे में उपस्थित मोतबीरान के बयान करा कर सिद्ध नहीं किया है। यही कारण है कि वादी का आवंटित भूमि पर कब्जा न होने से उनके नाम पर गैरखातेदारी हक से नामान्तरण भी नहीं खोला गया था, इसी कारण आराजी संख्या 91 का समस्त रकबा 5.2100 हैक्टर भूमि को आरक्षित चारागाह किया गया था। वादवर्णित भूमि जरिये नामा0सं0 98 से आरक्षित चारागाह दर्ज की गई थी जिसके विरूद्ध भी वादी द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील नहीं की है। वर्तमान वर्णित आराजी संख्या आरक्षित चारागाह की भूमि होने से वादी के पक्ष में भूमि खातेदारी से दर्ज किया जाना न्यायसंगत नहीं है। साथ ही वादी द्वारा कब्जाकाश्त होकर क्या क्या फसल इस आराजी से ली गई है इस सम्बन्ध में भी कोई ठोस प्रमाण यथा खसरा गिरदावरी की नकले प्रस्तुत नहीं की है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

इस प्रकार हमारी विनम्र राय से वाद वर्णित भूमि मौजा तुम्बा की आराजी संख्या 91 नरकवा 5.2100 हैक्टर भूमि जो कि आरक्षित चारागाह भूमि है पर वादीगण को खातेदारी अधिकार दिये जाने का यह वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सिद्ध नहीं होता हैं। इस प्रकार तनकी नम्बर 1 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

2– तनकी नम्बर 2 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पैरोकार सरकार का हैं। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा वादीगण के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए भूमि का आरक्षित चारागाह होने का कथन अपने जवाब में किया है, जैसा कि तनकी नम्बर 1 में उल्लेखित प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी मौजा तुम्बा की से सिद्ध हो जाता है कि मौजा तुम्बा की वादवर्णित आराजी नम्बर 91 रकवा 5.2100 हैक्टर भूमि आरक्षित चारागाह है, तथा तनकी नम्बर विरूद्ध वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर की गई है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है किन्तु तनकी नम्बर 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित होने एवं वादीगण का वादपत्र वर्णित भूमि आरक्षित चारागाह होने से वादीगण इस भूमि को अपने पक्ष में घोषित करा पाने के अधिकारी नहीं पाये जाते है। अतः यह तनकी नम्बर 2 भी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम दोनो ही तनकी दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर वादीगण के विरूद्ध निर्णित होने से वादीगण का वादपत्र सिद्ध नहीं होता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साक्ष्य दस्तावेज से सिद्ध नहीं होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश्वर)
(सहायक कलेक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी) डेगू

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) वेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा पत्र संख्या :– 07 / 2019

नवराम आत्मज धासी जी गुजर निवासी झाडोल तह0 वेगूँ

वादी

बनाम

1. श्री राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर सा0 चितौडगढ़
2. श्रीमान तहसीलदार साहब वेगूँ (भूमिधारी)

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण ईनाणी की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री .....की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 12.03.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी वेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साक्ष्य दस्तावेज से सिद्ध नहीं होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 12.03.2025 को तैयार की जाकर मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश) आर
(सहायक कलक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी) वेगूँ